भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1163
उत्तर देने की तारीख 27.07.2022

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश

1163 **श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दो वर्षों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लगभग 18,000 बच्चों को दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश भर के निजी स्कूलों में पढ़ रहे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आने वाले बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, आरटीई अधिनियम की धारा 2(क) के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों के लिए समुचित सरकारें हैं।

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के कार्यान्वयन के लिए, समुचित सरकार से वंचित समूहों और कमजोर वर्गों को अधिसूचित करने, प्रति बालक लागत को अधिसूचित करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश शुरू करने की अपेक्षा की जाती है।

राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत वर्ष 2021-22 में पढ़ रहे कुल बच्चों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

'ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 27.07.2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1163 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

2021-22 के दौरान निजी स्कूल में धारा 12(1)(ग) के तहत पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल अध्यनरत

		बच्चे
1	असम	**2504**
2	बिहार	**345667**
3	चंडीगढ़	**6268**
4	छत्तीसगढ़	**298639**
5	दमन और दादरा	**260**
6	दिल्ली	**147372**
7	गुजरात	**447827**
8	हिमाचल प्रदेश	**155**
9	झारखंड	**28406**
10	कर्नाटक	**418364**
11	मध्य प्रदेश	**1065381**
12	महाराष्ट्र	**436668**
13	उड़ीसा	**30275**
14	राजस्थान	**918231**
15	तमिलनाडु	**417327**
16	त्रिपुरा	**15**
17	उत्तर प्रदेश	**250292**
18	उत्तराखंड	**83302**
कुल		**4896953**

स्रोत: मूल्यांकन रिपोर्ट 2021-22